न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्याः—42/2022 दायर दिनाँक 17.10.2022

आवेदक

1. नाथूराम पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी आगून्ता तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

अनावेदकगण

1. नानंकवर पत्नी गुलाबसिंह
2. देवी पुत्री गुलाबसिंह
3. मुन्नी पुत्री गुलाबसिंह
4. शेरसिंह पुत्र गुलाबसिंह समस्त जाति राजपूत निवासी आगुन्ता तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
5. तहसीलदार डीडवाना

प्रार्थना—पत्र

अन्तर्गत धारा 251 ए(1) R.T. Act.

उपस्थितः—

1. श्री हरदीनराम जाखड़ वकील प्रार्थी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **17.01.2025**

प्रार्थना—पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि, आवेदक उपखण्ड डीडवाना में ग्राम आगुन्ता के में स्थित खेत खसरा नम्बर 480 रकबा 3.4300 हैक्टे0 के खातेदार हैं। उक्त खसरा की भूमि में पहुँचने हेतु कोई रास्ता नहीं है जिस हेतु नये रास्ते के लिए आवेदन कर रहे है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) उप धारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमति लेना चाहते है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रभावित खातेदारान को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत होने के लिए जरिये सम्मन तलब किया गया।

अप्रार्थी सं0 1 से 4 तामिलगी के बावजूद भी न्यायालय में अनुपस्थित है अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस मुख्यतः उनके प्रार्थना—पत्र पर आधारित रही व उन्होने प्रार्थना—पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया व रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार डीडवाना से जाँच व तथ्यात्मक रिपॉर्ट तलब की गयी। तहसीलदार डीडवाना द्वारा पत्रांक 359 दिनाँक 25.07.2024 के द्वारा रिपॉर्ट अदालत में पेश की गयी। तहसीलदार डीडवाना की उक्त रिपोर्ट के अनुसार खसरा सं0 474 में से नजरी नक्शा मार्क A to B पर प्रस्तावित रास्ते का कुल क्षेत्रफल 3450 वर्ग फुट है। वर्तमान DLC दर से दुगुनी राशि = 4000 रूपये देय राशि बनती है।

तहसीलदार डीडवाना अपनी रिपोर्ट में खसरा नम्बर 474 में से होकर दर्शित मार्क ए से बी की भूमि को [illegible] भूमि प्रस्तावित किया जो कि खसरा नम्बर 480 तक जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.08 11:17:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम आगुन्ता के में स्थित खेत खसरा नम्बर 480 रकबा 3.4300 हैक्टे0 में आवागमन हेतु नया रास्ता उपलब्ध कराए जाने की प्रार्थीगण मांग कर रहे हैं। काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) उपधारा (1) में संशोधन होने के बाद एक काश्तकार को उसकी भूमियों में आने–जाने के लिए निकटतम रास्ता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट व उपलब्ध अभिलेख के अनुसार आवेदकगण की भूमि में आने–जाने का रास्ता उपलब्ध नहीं है। कृषि भूमि में आवागमन के लिए प्रार्थी को रास्ता की नितान्त आवश्यकता है। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट के साथ पेश हुई नजरी नक्शा रिपोर्ट मुताबिक मार्क ए से बी भूमि को रास्ते के लिए प्रस्तावित किया है जो कि खसरा सं0 480 के नजदीकी रास्ता लगता है। अप्रार्थी की कोई आपत्ति प्रस्तुत नही हुई। उपरोक्तानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा सं0 480 रकबा 3.4300 हैक्टे0 में आवागमन का रास्ता नही है तथा उसे अपनी जोत में आने–जाने के लिए रास्ता की नितान्त आवश्यकता है। तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट पर न्यायालय सहमत है तथा रिपॉर्ट मुताबिक व प्रस्तावित. रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

–:: <u>आदेश</u> ::–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 480 ग्राम आगुन्ता में आवागमन हेतु तहसीलदार डीडवाना पत्र क्रमांक 359 दिनाँक 25.07.2024 के द्वारा प्रस्तुत, मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए से बी से दर्शित 3450 वर्ग फुट भूमि को रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार डीडवाना राजस्व रेकर्ड में 3450 वर्ग फुट उक्तानुसार अमल दरामद करें। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा। रास्ता में गयी भूमि की कीमत का आंकलन नियमानुसार वर्तमान डी0एल0सी0 दर से व नियमानुसार आंकलन कर प्रभावित खातेदारान् को भूगतान की कार्यवाही तहसीलदार डीडवाना सम्पादित करावें।

Vikas

(विकास मोहन भाटी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **17.01.2025** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.08 11:17:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner